2024 / 177

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 98 / 2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2024 / 177

दायर दिनांक :— 19.07.2024 निर्णय दिनांक :— 28.07.2025

01. जसोदा पत्नी रामचन्द्र जाति सुथार निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
02. घनश्याम पुत्र रामचन्द्र जाति सुथार निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
03. जितेन्द्र पुत्र रामचन्द्र जाति सुथार निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
04. महेश पुत्र रामचन्द्र जाति सुथार निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—वादीगण

बनाम

01. जगदीश पुत्र देवीलाल जाति सुनार निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
02. अशोक कुमार पुत्र नारायणराम जाति सुथार निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
03. खुशालचंद पुत्र हरीराम जाति सुथार निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
04. गवरीशंकर पुत्र हरीराम जाति सुथार निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
05. भंवरलाल पुत्र नारायणराम जाति सुथार निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
06. भोमराज पुत्र नारायणराम जाति सुथार निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
07. मनु पुत्री हरीराम जाति सुथार निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
08. रमेशकुमार पुत्र नारायणराम जाति सुथार निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
09. श्रवणकुमार पुत्र नारायणराम जाति सुथार निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :—1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता वादीगण
2. श्री दुलीचंद अधि. प्रति. सं. 1,3,4,5,8,9
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप में खसरा नम्बर 680 रकबा 3.0351 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादगस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मौका पर आपसी सहमति से हिस्से माफिक बंटवाड़ा कर लिया था।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 ता 5, 8 व 9 की और से अधिवक्ता दुलीचंद ने वकालतनामा व इकबालिया जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण सं. 2, 6, 7 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली में अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनकर ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप में खसरा नम्बर 680 रकबा 3.0351 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्ष ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तैयार कर तहसीलदार, बाप द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता वादीगण द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप में खसरा नम्बर 680 रकबा 3.0351 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा / हैक्टयर	किस्म
1	धनश्याम पुत्र रामचन्द्र 1/4, जसोदा पत्नी रामचन्द्र 1/4, जितेन्द्र पुत्र रामचन्द्र 1/4 महेश पुत्र रामचन्द्र 1/4 जाति सुथार सा. देह. खातेदार	बाप	680	0.6070 हैक्टेयर	बी-2
2	जगदीश पुत्र देवीलाल जाति सुनार सा. देह खातेदार	बाप	680	0.6070 हैक्टेयर	बी-2
3	खुशालचन्द पुत्र हरीराम 4426/19349, गवरीशंकर पुत्र हरीराम 104[illegible]97/19349, अशोक कुमार, भंवरलाल, भोमराज, रमेशकुमार, श्रवणकुमार पुत्र नारायणराम 4426/19349 जाति सुथार सा. दहे खातेदार	बाप	680	1.9349 हैक्टेयर	बी-2

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

नं. पुत्री हरीराम जाति सुथार सा. देह खातेदार बाप 680 0.1897 हैक्टेयर है।

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करें। विभाजन प्रस्ताव व संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलौदी)

अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी

पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

01. जसोदा पत्नी रामचन्द्र जाति सुथार निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
02. घनश्याम पुत्र रामचन्द्र जाति सुथार निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
03. जितेन्द्र पुत्र रामचन्द्र जाति सुथार निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
04. महेश पुत्र रामचन्द्र जाति सुथार निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–वादीगण

बनाम

01. जगदीश पुत्र देवीलाल जाति सुनार निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
02. अशोक कुमार पुत्र नारायणराम जाति सुथार निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
03. खुशालचंद पुत्र हरीराम जाति सुथार निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
04. गवरीशंकर पुत्र हरीराम जाति सुथार निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
05. भंवरलाल पुत्र नारायणराम जाति सुथार निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
06. भोमराज पुत्र नारायणराम जाति सुथार निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
07. मनु पुत्री हरीराम जाति सुथार निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
08. रमेशकुमार पुत्र नारायणराम जाति सुथार निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
09. श्रवणकुमार पुत्र नारायणराम जाति सुथार निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या 98/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर ओमप्रकाश गोदारा मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि राजस्व ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप में खसरा नम्बर 680 रकबा 3.0351 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :–

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टयर	किस्म
1	धनश्याम पुत्र रामचन्द्र 1/4, जसोदा पत्नी रामचन्द्र 1/4, जितेन्द्र पुत्र रामचन्द्र 1/4 महेश पुत्र रामचन्द्र 1/4 जाति सुथार सा. देह. खातेदार	बाप	680	0.6070 हैक्टेयर	बी–2
2	जगदीश पुत्र देवीलाल जाति सुनार सा. देह खातेदार	बाप	680	0.6070 हैक्टेयर	बी–2

[illegible] पुत्र हरीराम 4426/19349, [illegible] पुत्र हरीराम 104[illegible]87/19349, [illegible] कुमार, चंदनलाल, भीमराज, रमेशकुमार, [illegible]कुमार पुत्र नारायणराम 4426/19349 जाति सुथार सा. देह खातेदार	बाप	680	1.9349 हैक्टेयर	बी–2
मनु पुत्री हरीराम जाति सुथार सा. देह खातेदार	बाप	680	0.1897 हैक्टेयर	बी–2

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा।नीचे

मुतालिक बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.07.2025 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।